मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 13 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 22, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 69 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 79 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि प्रायः विभागों से प्रश्न सूची में दर्शित प्रश्नों में जो संशोधन दिये जा रहे हैं वे विधानसभा सचिवालय को समय पर नहीं भेजे जा रहे हैं। कल वन विभाग तथा आज खाद्य विभाग के संशोधन प्रातः 10.10 बजे प्राप्त हुए हैं। विभागों को अनेक बार ये निर्देश दिये गये हैं कि प्रश्नों के संशोधन एक दिन पहले आना चाहिये, अन्यथा सदस्यों को सही समय पर संशोधन नहीं मिल पाते हैं और इस कारण कई बार सदन में भी अप्रिय स्थिति बनती है। अतः सभी विभागीय मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस ओर ध्यान दें, संशोधन समय पर आयें। संसदीय कार्य मंत्री भी यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी स्थिति पुनः निर्मित न हो।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने "डेली वेली" नामक फिल्म पर प्रतिबंध लगाये जाने,
(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने खाचरौद-नागदा में कई ग्रामों में फसल बीमा राशि का भुगतान न किये जाने,
(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने धार जिले के अमझेरा में स्वीकृत कन्या हाईस्कूल बंद होने,
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने रतलाम जिले की जावरा तहसील के ग्राम बन्नाखेड़ा में सब्जी मंडी बनाने,
(5) श्री भैयाराम पटेल, सदस्य ने तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में फायर बिग्रेड उपलब्ध कराये जाने,
(6) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम जिले की जावरा तहसील में फोरलेन निर्माण की भूमि का मुआवजा न दिये जाने,
(7) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य ने बालाघाट जिले की आदिवासी उपयोजना के किसानों को खाद प्रदाय न किये जाने,
(8) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के किसानों को गेहूं का मूल्य न दिये जाने तथा
(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड-भाण्डेर मार्ग की हालत जर्जर होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

5. स्वागत-उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अशोक छविराम अर्गल, सांसद भिण्ड तथा श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, सांसद खजुराहो की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत-उल्लेख किया गया।

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य ने धार एवं झाबुआ जिले से शराब की तस्करी होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य ने मुरैना के दत्तपुरा रतनू का बाड़ा क्षेत्र में, फर्जी दस्तावेज के आधार पर आवासीय भूमि से रहवासियों को रिक्त कराने के दोषियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(3) श्री रामनिवास रावत

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा (पुनर्ग्रहण)

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 पर दिनांक 12 जुलाई, 2011 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया। निम्नलिखित सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लिया :-

(19) श्री रामनिवास रावत
(20) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी

(अपराह्न 1.01 से 3.05 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(21) श्री के.पी. सिंह
(22) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(23) श्री रमेश प्रसाद खटीक
(24) श्री रामलखन सिंह
(25) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(26) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(27) राव देशराज सिंह यादव
(28) श्री आत्माराम पटेल
(29) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(30) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(31) श्री नारायण प्रजापति
(32) श्री सुनील जायसवाल
(33) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(34) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(35) श्री देवी सिंह पटेल
(36) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

9. अध्यक्षीय निर्देश

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा जबलपुर में एक प्रदर्शन के दौरान श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य को चोट लगने के संबंध में सदन को सूचना दी गई। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस घटना की सदन के चलते, जानकारी लेने हेतु डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया गया।

10. प्रतिवेदनों पर चर्चा (क्रमशः)

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) के 17वें वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010 पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 23, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल :
दिनांक : 13 जुलाई, 2011

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.